

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2025/145924/ETW/ETAWAH/717/CFO

दिनांक: 17-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, 242, 243, AMRITPUR, BASREHAR ETAWAH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **242, 243,,AMRITPUR, BASREHAR,ETAWAH** तहसील - **ETAWAH**, प्लॉट एरिया **12020 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **8917.65** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
AK FOUNDATION TRUST	4	0	14.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, 242, 243, AMRITPUR, BASREHAR ETAWAH** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-02-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GAURAV YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-02-2026** से **16-02-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, 242, 243, AMRITPUR, BASREHAR ETAWAH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, 242, 243, AMRITPUR, BASREHAR ETAWAH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER FSSO REPORT-सेट बैक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती है एवं सेटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड रखा जाए। भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं के रखरखाव एवं संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मी रखे जायें भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत एनओसी स्वतः निरस्त मानी जायें

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SATYENDRA PRASAD
PANDEY)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-02-2026
स्थान : ETAWAH

[A31E6C4964D3209AC40D676A58ECF8565002BE76]

17-02-2026



MANAGER
Mount Litera
Zee School, Etawah.